छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सी) संख्या 4278/2008

याचिकाकर्ता: राजेश कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

दिनांक 15-12-2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका [सी] संख्या 4278 सन् 2008

याचिकाकर्ता: राजेश कुमार, आयु लगभग 39 वर्ष, पिता श्री देव सिंह कलार, निवासी ग्राम कांदेल, तहसील एवं जिला धमतरी, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था, कांदेल, जिला धमतरी (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी : 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य सचिव, छ.ग. मंत्रालय, भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कार्यपालक अभियन्ता, महानदी जलाशय राज्य योजना, बांध संभाग संख्या 2, रुद्री, जिला धमतरी (छ.ग.)

3. उप संभागीय अधिकारी, महानदी शीर्ष जल प्रबन्ध उप संभाग रुद्री, जिला धमतरी (छ.ग.)

4. देवानंद साहू, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.) अध्यक्ष जल उपभोक्ता नामांकित कांदेल, 1311009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री अनूप कुमार शर्मा, अधिवक्ता : याचिकाकर्ता की ओर से

श्री अलोक बख्शी, शासकीय अधिवक्ता : उत्तरवादी संख्या 1 से 3 की ओर से

श्री संजीव बंजारे, अधिवक्ता : उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से

आदेश

(दिनांक 15.12.2009 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2006') की धारा 5 की उपधारा 5 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 (संक्षेप में 'नियम, 2006') के नियम 7 के अनुसार जल उपभोक्ता संस्था, कांदेल (संक्षेप में 'संस्था') की प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया

गया था और तदनुसार अनुलग्नक पी-10 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता को प्रबन्धन समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने हटाने से सम्बन्धित प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए और वही उन्हें दिनांक 1.7.2008 को अनुलग्नक पी-1 से पी-9 के रूप में प्रदान किए गए। याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके हटाने के लिए अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिनियम, 2006 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियम, 2006 के प्रावधानों के विपरीत है। सम्पूर्ण कार्यवाही याचिकाकर्ता को सूचना दिए बिना उनकी पीठ पीछे की गई।

याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 30.6.2008 के अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से कलेक्टर, धमतरी को अपने अवैध रूप से हटाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया, तथापि, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 3-अनुविभागीय अधिकारी, महानदी शीर्ष जल प्रबन्ध उप संभाग संख्या 1 रुद्री के दिनांक 1.7.2008 के पत्र (अनुलग्नक पी-9) द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था की दिनांक 3.4.2008 को आयोजित विशेष बैठक में उनके विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया गया है और दिनांक 12.6.2008 की बैठक में उत्तरवादी संख्या 4-देवानंद साहू को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। याचिकाकर्ता को आगे निर्देशित किया गया कि वे समिति का कार्यभार मनोनीत अध्यक्ष को सौंप दें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने अपने लिखित कथन में प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है कि याचिकाकर्ता को संस्था द्वारा हटाया गया है, तथापि संस्था को उत्तरवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है और इसलिए याचिका खारिज किये जाने योग्य है। यह आगे कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता संस्था के कार्यों और सिंचाई प्रबन्धन में कोई रुचि नहीं ले रहा था, इसलिए उसे अधिनियम, 2006 की धारा 14 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, 2006 के अनुसार अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता को दिनांक 1.4.2008 को 'अविश्वास प्रस्ताव' की सूचना दी गई थी और उसे दिनांक 3.4.2008 को पद से हटा दिया गया था।

3. उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है यद्यपि उन्हें सूचना दी गई थी और वह उपस्थित हुए थे।

4. मैंने पक्षकारों द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

5. अनुलग्नक पी-10 निर्वाचन प्रमाण पत्र है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को निर्वाचन अधिकारी और कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। जबकि अनुलग्नक पी-9 के दस्तावेज के

माध्यम से उत्तरवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि दिनांक 3.4.2008 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया गया है और उत्तरवादी संख्या 4 को संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल दस्तावेजों से और उत्तरवादियों द्वारा विवादित नहीं किए जाने से, यह स्पष्ट है कि प्रबन्धन समिति के सदस्यों ने दिनांक 31.3.2008 को कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष अधिनियम, 2006 की धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत यहां याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' (अनुलग्नक पी-1) प्रस्तुत किया। संस्था की बैठक दिनांक 3.4.2008 को निर्धारित की गई और बैठक की सूचना छह सदस्यों को अनुलग्नक पी - 2 के माध्यम से दी गई। साधारण सभा की बैठक दिनांक 3.4.2008 को आयोजित हुई और उक्त बैठक में याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। उप अभियन्ता ने अपने दिनांक 24.4.2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) द्वारा उत्तरवादी संख्या 3 को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध संकल्प पारित होने के सम्बन्ध में उत्तरवादी संख्या 3 को सूचित किया। सहायक अभियन्ता ने अनुलग्नक पी-5 के ज्ञापन के माध्यम से एस.डी.ओ. को संबोधित करते हुए जो दिनांक 16/17 जून, 2008 को प्राप्त हुआ, सूचित किया कि संस्था ने अपनी दिनांक 12.6.2008 की बैठक में उत्तरवादी संख्या 4 को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधिनियम, 2006 की **धारा 2 (झ)** "कृषकों का संगठन" को परिभाषित करती है जिसमें धारा 4 के अन्तर्गत गठित अन्य समितियों के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर सभी जल उपयोगकर्ताओं से मिलकर बनने वाली जल उपभोक्ता संस्था सम्मिलित है। **धारा 2 (ढ)** जल उपभोक्ता संस्था के सम्बन्ध में 'साधारण सभा' शब्द को उक्त संस्था के सभी सदस्यों के निकाय के रूप में परिभाषित करती है। **धारा 2 (फ)** "सदस्य" शब्द को किसी भी कृषक संगठन के सदस्य के रूप में परिभाषित करती है। "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" शब्द को **धारा 2 (म)** के अन्तर्गत हाइड्रोलिक आधार पर परिसीमित ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जहां तक सम्भव हो एक सामान्य नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

जल उपभोक्ता संस्था के गठन के प्रावधान धारा 4 में दिए गए हैं। धारा 5 जल उपभोक्ता संस्था की प्रबन्धन समिति के गठन और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित है। **उपधारा (1)** प्रावधान करती है कि प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संस्था के लिए एक प्रबन्धन समिति होगी। **उपधारा (2)** प्रावधान करती है कि प्रबन्धन समिति में धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

प्रबन्धन समिति का कार्यकाल प्रबन्धन समिति की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष का होगा, यदि सदस्य को अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वापस नहीं बुलाया जाता या हटाया नहीं जाता या अयोग्य नहीं घोषित किया जाता है। धारा 5 की **उपधारा (5)** प्रावधान करती है कि जिला कलेक्टर जल उपभोक्ता संस्था की प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान की पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करेगा।

जबकि **उपधारा (6)** जिला कलेक्टर पर यह कर्तव्य आरोपित अधिरोपित है कि वह जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबन्धन समिति के निर्वाचन की व्यवस्था करे। **उपधारा (8)** राज्य सरकार को जल संसाधन विभाग से उचित स्तर के एक अधिकारी को बिना मतदान के अधिकार के जल उपभोक्ता संस्था की प्रबन्धन समिति का सचिव होने के लिए नामांकित करने का अधिकार प्रदान करती है। जबकि **उपधारा (9)** प्रावधान करती है कि प्रबन्धन समिति अध्यक्ष की सहायता के लिए प्रबन्धन समिति के सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

8. अधिनियम, 2006 की **धारा 14** वापसी के लिए प्रावधान करती है, जबकि **धारा 15** प्रबन्धन समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। अधिनियम, 2006 की धारा 14 एवं 15 नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "14. वापस **बुलाने की प्रक्रिया-** (1) कृषकों के संगठन के, प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को वापस बुलाने का प्रस्ताव, कृषक संगठन के सदस्यों की, जो मतदान करने के हकदार हों, कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना, जैसा कि विहित की जाए, किया जाएगा:
>
> परंतु इस धारा के अधीन प्रस्ताव की कोई सूचना, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध प्रस्ताव, प्रस्तावित करना चाहा गया है, के पद धारण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, नहीं की जाएगी ।
>
> (2) यदि, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान. करने वाली संथा के सदस्यों. की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित कोई प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए साधारण निकाय के सम्मिलन में लाया जाता है, तो यथास्थिति, जिला कलेक्टर या राज्य सरकार, आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटा सकेगी और रिक्ति को धारा 20 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा।

15. प्रबंध समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया- कृषकों के संगठन के सदस्यों द्वारा, अध्यक्ष को, उस प्रबंध समिति के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर, संगठन के प्रबंध समिति से हटाया जा सकता है ।

9. अधिनियम, 2006 की **धारा 20 (1) (क)** इस प्रकार है:-

"**(क)** जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के पद की रिक्ति हेतु, जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। निर्णय लेने में असफल रहने पर, जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करेगा। रिक्तियों के होने की स्थिति में प्रबंध समिति के सदस्य अथवा प्रबंध समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर जिला कलेक्टर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विहित रीति से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा ।

10. नियम, 2006 के नियम 8 में वापसी की प्रक्रिया निर्धारित है, जबकि नियम 13 'साधारण सभा' के गठन से सम्बन्धित है। नियम 14 (क) प्रावधान करता है कि साधारण सभा की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी। उप-नियम (ख) अध्यक्ष या प्रबन्धन समिति के सदस्यों को बहुमत संकल्प के माध्यम से या मतदान के अधिकार रखने वाले सदस्यों जिनकी संख्या एक तिहाई से कम नहीं होगी द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र के द्वारा संगठन के सदस्यों को अधिकार प्रदान करता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. नियम 15 परिकल्पना करता है कि नियम 14 के उप-नियम (ख) या (ग) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर, कृषक संगठन की प्रबन्धन समिति बीस दिन के भीतर सात दिन की पूर्व सूचना देकर बैठक के लिए स्थान, दिनांक, समय और कार्यसूची की मदों को निर्दिष्ट करते हुए साधारण सभा की बैठक आयोजित करेगी। तथापि, आपातकालीन स्थिति में, बैठक तीन दिन की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकती है। नियम 16 साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति निर्धारित करता है, जबकि नियम 17 अनिवार्य करता है कि साधारण सभा की कार्यवाही को कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

12. अधिनियम, 2006 और नियम, 2006 के प्रावधानों के अवलोकन से यह देखा गया है कि अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

13. अनुलग्नक पी -1 के ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने दिनांक 31.3.2008 को उत्तरवादी संख्या 2- कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष अधिनियम, 2006 की धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। दिनांक 3.4.2008 को आयोजित होने वाली बैठक की सूचना तीन

सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है और छह सदस्यों की प्राप्ति की पावती है। इस सूचना के पाद भाग में दिनांक 1.4.2008 के साथ सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर भी उपलब्ध हैं। अनुलग्नक पी -3 संस्था की दिनांक 3.4.2008 की साधारण सभा की बैठक का कार्यवृत्त है। तथापि, कार्यवृत्त से यह प्रकट होता है कि उक्त तारीख को कुछ आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यवृत्त पर सात सदस्यों के साथ-साथ सहायक अभियन्ता के भी हस्ताक्षर हैं। बैठक के परिणाम को बाद में सहायक अभियन्ता द्वारा उप संभागीय अधिकारी को सूचित किया गया।

14. धारा 14 के अन्तर्गत अध्यक्ष की वापसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, साधारण सभा की बैठक नियम 14 के अनुसार आयोजित की जानी है और बैठक की सूचना नियम 15 के अनुसार जारी की जानी है। अधिनियम, 2006 की धारा 14 के साथ नियम, 2006 के नियम 13 से 15 तक के प्रावधानों के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि संस्था की साधारण सभा की बैठक उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार आयोजित नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. नियम, 2006 का नियम 19 (क) प्रबन्धन समिति की बैठकों के लिए प्रावधान करता है जो निम्नानुसार है:-

> "(1) प्रबंध समिति की बैठकें संगठन के कार्यालय में प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी। तथापि, विशेष बैठकें आयोजित की जा सकती हैं यदि ऐसा आवश्यक हो। मांगी गई बैठक अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आयोजित की जाएगी।"

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बैठक अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आयोजित की जानी है। यह मान लिया जाए कि दिनांक 3.4.2008 की बैठक प्रबन्धन समिति की बैठक थी और वही समिति के सदस्यों के दिनांक 31.3.2008 के मांगपत्र पर आयोजित हुई, तब भी उक्त बैठक अध्यक्ष द्वारा नहीं बुलाई गई है और यह सूचना प्राप्त होने के केवल तीन दिन के भीतर आयोजित हुई। बैठक समिति के तीन सदस्यों द्वारा आयोजित की गई है और इसके सदस्यों को उचित सूचना नहीं दी गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि अध्यक्ष को उक्त बैठक की जानकारी थी या नहीं।

17. इस प्रकार, यह विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता संस्था का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष था, प्रबन्धन समिति के कुछ सदस्यों द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है, याचिकाकर्ता को हटाने के लिए अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिनियम, 2006 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियम, 2006 के प्रावधानों के विपरीत है,

यह न्यायालय की राय है कि दिनांक 3.4.2008 की साधारण सभा की बैठक में अनुलग्नक पी -3 के माध्यम से 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करके याचिकाकर्ता को हटाना अवैध है।

परिणामस्वरूप, अनुलग्नक पी -6 के संकल्प के माध्यम से उत्तरवादी संख्या 4 का संस्था के अध्यक्ष के रूप में नामांकन और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 1.7.2008 का जारी आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को समिति का कार्यभार उत्तरवादी संख्या 4 को सौंपने का निर्देश दिया गया है, भी अवैध है।

18. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 3.4.2008 की साधारण सभा की बैठक में अनुलग्नक पी-3 के माध्यम से 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करके याचिकाकर्ता का हटाया जाना, अनुलग्नक पी-6 के संकल्प के माध्यम से उत्तरवादी संख्या 4 का संस्था के अध्यक्ष के रूप में मनोयन और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 1.7.2008 का जारी आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को समिति का कार्यभार उत्तरवादी संख्या 4 को सौंपने का निर्देश दिया गया है, एतद् द्वारा रद्द किए जाते हैं।

19. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

दिनांक 15.12.2009

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur